

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ.2(ग)एसीपी/1994-III/ 3395

दिनांक :- 08-04-24

आदेश संख्या:- 101 / 2024-25

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी./रुत्स/2017 दिनांक 30.10.2017, 09.12.2017 एवं एफ.14(38)एफ.डी./रुत्स/2008 दिनांक 12.01.2018 एवं एफ.15(1)वित्त/नियम/2017 पार्ट दिनांक 06.10.2023 के अनुसरण में निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर प्रथम नियुक्ति दिनांक से 27 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र एवं संतान घोषणा पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 6 में अंकित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की तृतीय Modified Assured Career Progression Scheme (एम.ए.सी.पी) पे मैट्रिक्स में लेवल एल-14 स्वीकृत की जाती हैं।

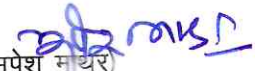
क. सं.	नाम (सर्वश्री)	मेरिट/ बैच नं.	लिंक नम्बर	कनिष्ठ लेखाकार /समान लेवल के अन्य पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	तृतीय एम. ए.सी.पी. देय तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
3.	सुभास चन्द कोली	37/92 स्पे.	5734	23.01.1995	23.01.2024	11 वर्ष में से 9 वर्ष की एपीएआर प्राप्ति के आधार पर स्वीकृत एवं द्वितीय एसीपी स्वीकृत तिथि से 9 वर्ष पश्चात स्वीकृत।
4.	भंवर लाल सैनी	470/94	4457	30.04.1996	30.04.2023	11 वर्ष में से 9 वर्ष की एपीएआर प्राप्ति के आधार पर स्वीकृत।

उपरोक्त तालिका में क्रम संख्या 01 पर अंकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम के गत 09 वर्ष में से पूरे 09 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने पर वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 06.10.2023 के क्रम में गत 11 वर्ष में से 9 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर तृतीय Modified Assured Career Progression Scheme इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 30.10.2017 के पैरा 14(2) एवं आदेश दिनांक 09.12.2017 व अधिसूचना दिनांक 06.10.2023 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें-

1. पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
2. पूर्व में तृतीय एम.ए.सी.पी. स्वीकृति नहीं की गई है।
3. कॉलम संख्या 6 में उल्लेखित एम.ए.सी.पी. देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
4. इनके विरुद्ध फौजदारी/विभागीय जांच लंबित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
5. गत 7 वर्षों से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही हैं।

इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिकों की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।


(भूपेश मिश्रा)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

दिनांक :- 08-04-24

क्रमांक :- एफ.2(ग)एसीपी/1994-III/ 3395

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
2. सहायक निदेशक (एपीएआर) मुख्यालय।
3. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय मुख्यालय।
5. उपनिदेशक (एसीपी) विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी पत्रावली हेतु मूल आवेदन पत्र/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग।


(राजेन्द्र प्रसाद रैंगर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)